मंडल की 7 मार्च 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	277	मंडल की 20 फरवरी, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 20.2.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	278	अन्य पत्तनों से सड़क द्वारा मुंबई पोर्ट में खाली करने तथा सुपुर्दगी के लिए लाये गये कन्टेनर/ कन्टेनरीकृत कार्गो पर प्रभारों की उगाही.	जब समीक्षा की जायेगी, निःशुल्क दिनों की सुविधा आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा बार्ज/शिप प्रचालनों के प्रारंभ होने तक, जो भी पहले है, बढ़ाने के लिए टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
3.	279	निविदा सं. एमईईडी. 10/2018- पीरपॉव (पीपी) और जवाहरद्वीप (एमओटी-जेडी) स्थित वर्तमान अग्निरोधी प्रणाली की पुनर्दुरुस्ती.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
4.	280	ईडीपी स्कंध, योजना और अनुसंधान प्रभाग में सहा. निदेशक (ईडीपी) (₹9100-15100), उपनिदेशक (ईडीपी) (₹10750-16750) तथा वरि. उपनिदेशक (ईडीपी) (₹13000-18250) के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में प्रस्तुतनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 का प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि इसी की धारा 124(1) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन (सामान्य प्रशासन)
5.	281	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में संविदा पायलटों की भर्ती.	टिप्पणी के परिच्छेद 2 और 3 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	मानव संसाधन (सामान्य प्रशासन)
6.	282	पोर्ट सम्पत्तियों और बीमा बिचौलिया के बीमा का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
7.	283	चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य शिक्षक पद के लिए भर्ती नियमों के संबंध में भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति विनियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में प्रस्तुतनुसार भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि, इसी की धारा 124 (1) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन (सामान्य प्रशासन)

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
8.	284	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकारण - विद्युतीय कार्य.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
9.	285	गमाडिया कॉम्प्लेक्स स्थित बंदरगाह आप्रवासन शाखा, येलोगेट पुलिस स्टेशन को आबंटित कार्यालय स्थान.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जो भारतीय पत्तन न्यास/पोत परिवहन मंत्रालय से दिशानिदेशों पर निर्भर है, जिसके प्राप्त होने पर दिशानिदेशों के अनुसार मामले को संचालित किया जायेगा.	यातायात
10.	286	मंडल की 22 जनवरी, 2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 22.1.2019 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गयी और उसे अभिलिखित किया गया.	सामान्य प्रशासन
11.	287	वडाला ईस्टेट स्थित भूखण्ड आर आर सं. 2023 - भूखण्ड छोड़ने के लिए प्रस्ताव. पट्टाधारी: कॅस्ट्रोल लि.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का सम्पदा प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
12.	288	मुंबई हार्बर के लिए जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली में बदलाव/सुधार.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
13.	289	ह्युजेस ड्राय डॉक बिल्डिंग, इंदिरा गोदी में स्मिथ सिंगापुर पीटीई लि. (एसएसपीएल) द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पर किराया प्रभारों संबंधी बिलों के निपटान में विवाद.	टिप्पणी के परिच्छेद 19 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
14.	290	निविदा सं. ई.75/2018 - मुंबई में पीरपॉव के द्वितीय रसायन घाट तक अप्रोच चॅनल को गहरा और चौडा करने के लिए महत्वपूर्ण निकर्षण कार्य.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में और सर्वश्री सुनिल राणे, श्रीकांत पाण्डेय, सुधाकर अपराज, केरसी पारेख, विस एवं मुलेअ, यातातात प्रबंधक तथा मुख्य अभियंता को शामिल करते हुए एक समिति गठीत करना और (ii) प्रस्ताव राशि में कमी करने के लिए बोलीकर्ताओं के साथ मोलभाव करने और आयएसडीपीएल को कार्य देने के बारे में सिफारिश करने अथवा निविदा निरस्त करने और डंपिंग के संशोधित प्रावधानों के साथ नयी निविदा पुन: मंगाने के लिए समिति को अधिकृत करना.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
15.	291	आरएफक्यू सं. सीई. एफएसआरयु/ 2019- मुंबई हार्बर में लायसंस आधारपर तैरता भंडारण और पुर्नगॅसीकरण ईकाई की स्थापना.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में और सर्वश्री सुनील राणे, श्रीकांत पाण्डेय, सुधाकर अपराज, केरसी पारेख, विस एवं मुलेअ, यातायात प्रंबधक और मुख्य अभियंता को शामिल करते हुए एक समिति गठित करना, मंत्रालय द्वारा जारी होने वाले एफएसआरयु दिशानिदेशों के अनुरुप प्रस्ताव के माध्यम से कार्य करना, और (ii) दिशानिदेशों के संदर्भ में अपेक्षित संशोधनों के बारे में निर्णय लेने के लिए समिति को अधिकृत करना और तदनुसार निविदा मंगाना और मंडल द्वारा उसकी अगली बैठक में अभिपुष्टि किया जाना.	स्थापत्य

C6/Pro 7 March 2019/actiontaken20190307